राजस्व अपील संख्या : 03/2024

उनवान : अनी देवी बनाम सवाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 03/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/3

अपीलाण्ट्स :–		रेस्पोडेण्ट्स :–
अनी देवी पुत्री स्व. लालाराम जाति मेघवाल निवासी पांचलवाडा तहसील जिला पाली राज.	बनाम	1. सवाराम पुत्र स्व. लालाराम 2. बगदाराम पुत्र स्व. लालाराम जाति मेघवाल निवासी पांचलवाडा तहसील बाली जिला पाली राज. 3. नायब तहसीलदार बाली जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध मौजा पांचलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 29 जो नायब तहसीलदार बाली के आदेश दिनांक 16.06.1989 को स्वीकृत किया गया जिसे निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रताराम राठौड़।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांकः 15.04.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **मौजा पांचलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 29 जो नायब तहसीलदार बाली के आदेश दिनांक 16.06.1989 को स्वीकृत किया गया जिसे निरस्त** करवाने बाबत् पेश की गई। साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पांचलवाडा तहसील बाली की राजस्व सीमा क्षेत्र में खसरा नम्बर 124 रकबा 0.7000 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.3500 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.0500 हैक्टेयर की कृषि भूमि अपीलार्थी के पिता एवं रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो के पिता लालाराम पुत्र चेनाराम मेघवाल निवासी पांचलवाडा एवं अन्यों की कब्जाशुदा सहखातेदारी की स्थित रही है। उक्त कृषि भूमि के सहखातेदारी लालाराम पुत्र चेनाराम मेघवाल निवासी पांचलवाडा को निहित रहे सहखातेदारी के सम्पूर्ण हक हकुक उनके वारिसान अपीलार्थी अनी, रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो नाम क्रमशः सवाराम एवं बगदाराम को निहित हुए। उक्त कृषि भूमि पर अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट सवाराम, बगदाराम का कब्जा सहखातेदारान की हैसियत से लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला पाली

राजस्व अपील संख्या : 03/2024

उनवान : अनी देवी बनाम सवाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उक्त कृषि भूमि के सहखातेदार लालाराम पुत्र चेनाराम मेघवाल निवासी पांचलवाडा के स्वर्गवास के बाद अपीलार्थी के बाला बाला रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो नाम क्रमशः सवाराम एवं बगदाराम ने उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 29 की कार्यवाही सम्पन्न करवा कर दिनांक 16.06.1989 को स्वयं के हक में स्वीकृत करवा कर स्वय का नाम भू–अधिकार अभिलेखो में प्रविष्ट करवाया है।

रेस्पोडेण्ट संख्या एक व दो ने रेस्पोडेण्ट संख्या तीन के साथ मिलीभगत कर नामान्तरकरण संख्या 29 खुलवाया एवं रेस्पोडेण्ट संख्या तीन से अपीलाण्ट के बाला बाला तथाकथित तौर से स्वीकृत करवाया जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को इन्टरनेट से जमाबंदी खेवट खतौनी माह जनवरी के तृतीय सप्ताह में प्राप्त कर सरसरी तौर से किये गए अवलोकन से हुई एवं उसके बाद अपीलाण्ट के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 29 स्वीकृति दिनांक 16.06.1989 की प्रमाणित प्रतिलिपि पटवार हल्का से प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 27.01.2024 को प्राप्त किये जाने के पश्चात उसी रोज जैर अपील नामान्तरकरण का अवलोकन करने से नामान्तरकरण कार्यवाही की पूर्ण जानकारी अपीलाण्ट को हुई, ग्राम पांचलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 29 स्वीकृति दिनांक 16.06.1989 की सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलार्थी के हितो के विरुद्ध कानूनन अवैध, शुन्य व निष्प्रभावी है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नायब तहसीलदार बाली द्वारा ग्राम पंचालवाडा तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 29 स्वीकृति बाबत पारित आदेश दिनांक 16.06.1989 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने से पूर्व आदेशिका दिनांक [illegible].2024 को रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों एवं बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलार्थी स्वर्गीय लालाराम की पुत्री है एवं स्वर्गीय लालाराम की निर्वसीयत मृत्यु होने पर मौजा पांचलवाडा के खसरा संख्या 124 एवं 173 के संबंध में ज़रिए ज़ैर आलोच्य नामान्तरकरण के स्वर्गीय लालाराम के स्थान पर उनके पुत्रों अप्रार्थीगण सवाराम एवं बगदाराम के नाम इन्द्राज किये गए और अपीलार्थी स्वर्गीय लालाराम की ज़ायन्दा पुत्री होने के उपरांत भी उनका नाम ज़ैर अपील आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं किया गया अतः आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 29 दिनांक 16.06.1989 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से स्वर्गीय लालाराम के उत्तराधिकारियों की सम्यक् जांच के अभाव में पारित होने से निरस्त किया जाए।

सर्वप्रथम, हस्तगत अपील में विधि का सारभुत प्रश्न निहित होने से एवं सशपथ कथन होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं विचाराधीन अपील को म्याद शुमार घोषित किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

राजस्व अपील संख्या : 03/2024

उनवान : अनी देवी बनाम सवाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

मूल नामान्तरकरण अपील के संबंध में अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया गया, अपील मीमों, सलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया।

मौजा पांचलवाड़ा के खसरा संख्या 124 एवं 173 रकबा क्रमशः 0.70 हैक्टेयर एवं 0.35 हैक्टेयर में लाला पि. चेना का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज था अपीलार्थीया श्रीमती अनीदेवी ने अपील मीमों में सशपथ कथन किया है कि वह स्वर्गीय लालाराम पि. चेना की जायन्दा पुत्री एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार स्वर्गीय लालाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान् मे शुमार है। स्वर्गीय लालाराम की मृत्यु पर उत्तराधिकार नामान्तरकरण संख्या 29 दिनांक 16.06.1989 में स्व. लालाराम के पुत्रों अर्थात अप्रार्थीगण संख्या एक एवं दो का नाम ही दर्ज किया गया एवं अपीलाण्ट का नाम इन्द्राज नहीं किया गया। पुश्तैनी आराजी एवं निर्वसीयत मृत्यु पर पिता की सम्पति में पुत्री का हक हकुक पुत्रों के समान होता है। अतः, स्पष्ट है कि ज़ेर अपील नामान्तरकरण संख्या 29 दिनांक 16.06.1989 स्वीकार करने से पूर्व स्वर्गीय लालाराम के वैध वारिसों के संबंध में सम्यक् जांच नहीं की गई और केवल पुत्रों अर्थात अप्रार्थीगण सवाराम एवं बगदाराम का नाम ही इन्द्राज किया गया। इस प्रकार ज़ेर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 29 दिनांक 16.06.1989 विधि के प्रतिकुल होने से 'प्रारम्भतः ही शून्य' है।

अतः, मौज़ा पांचलवाडा के खसरा संख्या 124 एवं 173 के संबंध में फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 29 स्वीकृति दिनांक 16.06.1989 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार बाली को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि स्वर्गीय लालाराम पि. चेना जाति मेघवाल के विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में सम्यक् जांच करे एवं जांच उपरांत इन्तकाल अमलदरामद, के संबंध में नये सिरे से कार्यवाही प्रभाव में लावें।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली